त्योड पोस्ट आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-305/16 श्र0सं0- 84 बिहार सरकार, श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा. श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर ।

पटमा, दिनांक :- 4-10-16

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0104-बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपन्न कोड-पी॰ 2230017890104) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2239 दिनांक 20.5.16 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय हेतु आपकी अध्यक्षता में गठित ''बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष'' मै जमा करने हेतु रू॰ 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

| जोठ | प्राथमिक | जिला का | बाल श्रमिकों | आवंटित | अभ्युक्ति |
|-----|----------------|-----------|--------------|--------|--|
| सं० | इकाईयाँ | नाम | की संख्या | राशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 28-01 | समस्तीपुर | 02 | 10000 | श्रम अधी॰,समस्तीपुर के पत्रांक 840 दिनांक- |
| | व्यावसायिक एवं | | | | 22.08.16 के आलोक में (19.08.16 को |
| | विशेष सेवाएँ | | | | विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए) |
| | कुल योग | | 02 | 10000 | |

कुल आवंटित राशि रूपये दस हजार मात्र ।

- मात्र वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि0 दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि॰ दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है।

ज्ञापांक-6/एफ1-305/16 श्र0सं0- ४५ पटना, दिनांक ५-/० 🕊 प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । श्रमायुक्त, विहार।

श्रमायुक्त, बिहार।